

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District
(जिला):

ACB DISTRICT

P.S.
(थाना):

C.P.S Jaipur

Year
(वर्ष):

2025

2. FIR No.
(प्र.सू.रि.सं.):

0307

Date and Time of FIR
(एफआईआर की तिथि/समय):

20/11/2025 10:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(d)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन

Date From
(दिनांक से): 27/08/2011

Date To
(दिनांक तक): 11/05/2019

Time Period
(समय अवधि): पहर

Time From
(समय से): 10:00 बजे

Time To
(समय तक): 10:00 बजे

(b) Information received at P.S.
(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date
(दिनांक): 20/11/2025

Time
(समय): 10:00 बजे

(c) General Diary Reference
(रोजनामचा संदर्भ) :

Entry No.
(प्रविष्टि सं.): 001

Date & Time
(दिनांक एवं समय) 20/11/2025 10:56:26 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार):

लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.
(थाने से दिशा और दूरी):

WEST, 5 किमी

Beat No.
(बीट सं.):

NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): SMS ASPATAL JAIPUR

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

3. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): BHUPENDRA

(b) Father's Name (पिता का नाम): OMPRAKESH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1992

(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ACB, JAIPUR CITY FIRST, BAJAJ NAGAR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	ACB, JAIPUR CITY FIRST, BAJAJ NAGAR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SUNIL KUMAR MEENA		पिता:D.L.MEENA	1. 31/64, SECTOR NO.03, PARTAP NAGAR, R.H.B., SANGANER JAIPUR, PRATAP NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY
2	MADANLAL BAIRWA AND OTHERS		पिता:SUKHPAL BAIRWA	1. G 780, GHANDI NAGAR JAIPUR, GANDHI NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,43,31,983.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,43,31,983.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात इस प्रकार है कि एसएमएस अस्पताल परिसर जयपुर में स्थित लाईफ लाईन ड्रग स्टोर में दवाईयों के संबंध में अनियमितताएं एवं ड्रग स्टोर में हुये अग्रिकाण्ड में आग घोटाले छिपाने के संबंध में ब्यूरो में प्राथमिक जांच सं. 37/2024 दर्ज होकर दिनांक 23.08.2024 को वास्ते जांच चौकी पर प्राप्त हुई। प्राथमिक जांच की पत्रावली/रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया एवं सहायक लेखाधिकारी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर से जांच की जाकर बयान लेखबद्ध किये गये। प्राथमिक जांच की पत्रावली/रिकॉर्ड के गहन अवलोकन एवं जांच से सामने आया कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में आने वाले विभिन्न रोगियों को लागत मूल्य पर निदान एवं दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1995-96 में राजस्थान मेडिकल रिलिफ सोसायटी का गठन किया गया। उक्त सोसायटी में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर जयपुर, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज जयपुर, अधीक्षक एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर एवं दान दाता सदस्य होते हैं। उक्त सोसायटी के अधीन मरीजों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाईफ लाईन मेडिकल एण्ड ड्रग स्टोर की स्थापना की गई, जो पूर्व में जरिये ठेकेदार संचालित थी। इसके उपरान्त वर्ष 2013 में उक्त मेडिकल स्टोरो को सवाई मानसिंह चिकित्सालय ने स्वयं संचालित करना प्रारम्भ किया। जिसमें दवाओं की आपूर्ति खुली निविदाओं के माध्यम से की जाती है तथा न्यूनतम दर दाता को कार्यदिश जारी किया जाता है। निविदा प्रावधान एवं जीएफएण्डआर के उपबन्ध अनुसार विलम्ब से दवा आपूर्ति की दशा में नियमानुसार शास्ति (लिक्यूविडिटी डेमेज) का प्रावधान है।

1.आरएमआरएस/लाईफ लाईन का संस्थागत गठन -

अ-मैनेजिंग कमेटी-

- 1.प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- 2.संभागीय आयुक्त
- 3.जिला कलेक्टर
- 4.प्राचार्य मेडिकल कॉलेज
- 5.निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- 6.अधीक्षक एसएमएस हॉस्पिटल
- 7.अन्य दानदाता

ब- राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी द्वारा संचालित लाईफ लाईन दवा दुकानों के संचालन बाबतू मेम्बर सैक्रेट्री मैनेजमेन्ट कमेटी द्वारा 7 प्रोफेसरो की कमेटी का गठन किया जाता है जो लाईफ लाईन संचालन की नीति निर्धारण का कार्य करती है।

स- मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज लाईफ लाईन- सवाई मानसिंह चिकित्सालय का ही एक वरिष्ठ चिकित्सक होता है जो लाईफ लाईन के डे टू डे कार्य करता है। जैसे पर्चेज ऑर्डर जारी करना, भुगतान की अनुशंसा करना आदि

द- लाईफ लाईन के प्रत्येक बिक्री पटल पर एक फार्मासिस्ट होता है जो उस दुकान का भण्डारपाल भी होता है।

ध- कार्य पद्धति- प्रत्येक बिक्री पटल पर एक अथवा दो फार्मासिस्ट एमओआईसी

कार्यालय में एक लिपिक एक लेखाकार एवं अन्य संविदाकर्मी कार्यरत होते हैं।

2.भण्डारण क्रय- लाईफ लाईन ड्रग स्टोर (आरएमआरएस) में दवा आपूर्ति बाबतू उपरोक्तानुसार निविदा उपरान्त अनुबंधित फर्मों की क्रय आदेश जारी करने का प्रावधान है। उक्त क्रय आदेश के विरुद्ध संबंधित फर्म द्वारा नियत अवधि में दवा की आपूर्ति की जाती है। विलम्ब से आपूर्ति पर शास्ती का प्रावधान है। मांग का निर्धारण दुकान विशेष के फार्मासिस्ट द्वारा प्राप्त

डॉक्टरों की पर्चियों के आधार पर किया जाता है। उन पर्चियों का एक संक्षिप्त सार लाईफ लाईन संचालक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को प्रस्तुत किया जाता है। वे विभिन्न विभागों में पदस्थापित डॉक्टर्स/तत्समय फैलती बिमारियों के मध्य नजर क्रय आदेश जारी करते हैं। फर्म द्वारा दवा स्टोर में रखने पर पर्चेज चालान की पृविष्टि सॉफ्टवेयर में की जाती है, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही दवा का बेचान किया जाता है। दवा विशेष का रिऑर्डरलेवल आने पर पुनः पर्चेज ऑर्डर जारी कर दिया जाता है।

3. भुगतान- लाईफ लाईन मेडिकेयर ड्रग स्टोर के सभी बिक्री पटलों के प्रभारी फार्मासिस्ट द्वारा भुगतान वाले बिलों की सम्पूर्ण औषधि/सामग्री की बिक्री होने के पश्चात् बिलों की सूची बनाकर संबंधित फार्मासिस्ट द्वारा लाईफ लाईन ऑफिस के लिपिक को प्रस्तुत करता है तथा लिपिक उनकी प्राथमिक जांच कर सहायक लेखाधिकारी (लेखाकार) के समक्ष उपस्थित होकर उक्त सूची को अनुमोदित/जांच कराकर कार्यालय में भुगतान हेतु एमओआईसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। एमओआईसी द्वारा उक्त भुगतान को मय अनुशंषा के वित्तीय सलाहकार को अग्रेसित किया जाता है। वित्तीय सलाहकार मय अपनी अनुशंषा के मेम्बर सैकेट्री को पत्रावली अग्रेसित करते हैं। मेम्बर सैकेट्री एवं चिकित्सा अधीक्षक एक ही व्यक्ति होता है। इसके पश्चात् भुगतान अनुमोदित होने पर आरटीजीएस के माध्यम से संबंधित फर्म को भुगतान किया जाता है।

4. बिक्री प्रक्रिया के तहत फार्मासिस्ट को ही दुकान विशेष का स्टोर कीपर माना जाता है।

5. वर्ष 2012 से वर्ष 2019 तक बकाया रही कुल एल0डी0 राशि 5.06 करोड़ में से 3.41 करोड़ की वसूली हो चुकी है। शेष की वसूली प्रक्रियाधीन बताई गई है।

6. निविदा की बिन्दु संख्या 13 के अनुसार समस्त क्रय आदेशों की आपूर्ति आदेश जारी होने के 8 दिवस में करनी होगी। उक्त 8 दिवस के उपरान्त आपूर्ति की दशा में शास्ति अनुज्ञैय (एप्लीकेबल) है। 8 दिवस से अधिक की अवधि में दवा आपूर्ति करने पर 2 दिवस विलम्ब होने पर क्रय राशि का 2.5 प्रतिशत 4 दिवस विलम्ब होने पर 5 प्रतिशत 6 दिवस विलम्ब होने पर 7.5 प्रतिशत तथा 8 एवं उससे अधिक की दशा में अधिकतम 10 प्रतिशत शास्ती वसूली योग्य है। उक्त आशय का प्रावधान प्रत्येक निविदा एवं जीएफएण्डएआर में निहित है। इस प्रकार वसूल नहीं की गई शास्ति की अवधि वर्ष 2011 से 2019 तक राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय द्वारा संचालित वर्तमान में लाईफ लाईन मेडिकेयर ड्रग स्टोर में पदस्थापित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ. राजेन्द्र मांडिया अप्रैल 2011 से अक्टूबर 2011 तक, डॉ. अरूण चैंगुले नवम्बर 2011 से अगस्त 2012 तक, डॉ. बी0एल0 कुमावत दिनांक 10.07.2012 से 27.06.2014 तक, डॉ. एस0एस0 राणावत दिनांक 27.06.2014 से 06.02.2017 तक, डॉ. प्रभात सराफ दिनांक 07.02.2017 से 21.11.2018 तक, डॉ. पी0डी0 मीणा 22.11.2018 से मई 2019 तक पदस्थापित रहे हैं। जो शास्ती वसूल नहीं करने के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। इसी प्रकार वर्ष 2011 से 2019 तक लाईफ लाईन मेडिकेयर ड्रग स्टोर में मुख्य लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार के पद पर पदस्थापित श्री बृजभूषण शर्मा दिनांक 16.12.2011 से 04.04.2014 तक, श्री देवकी नन्दन शर्मा दिनांक 04.04.2014 से 23.11.2016 तक, श्री ललित कुमार मोरोडिया दिनांक 23.11.2016 से 27.07.2018 तक एवं श्री मनोज कुमार दिनांक 27.07.2018 से वर्ष 2019 तक पदस्थापित रहे हैं। जो शास्ती वसूल नहीं करने के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं।

इसी प्रकार वर्ष 2011 से 2019 तक लाईफ लाईन मेडिकेयर ड्रग स्टोर में सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदस्थापित श्री महेश चन्द कोशिक दिनांक 19.10.2011 से अगस्त 2012 तक, श्री अमर चन्द जाट सितम्बर 2012 से दिनांक 01.05.2017 तक, श्री अशोक कुमार दिनांक 01.05.2017 से 31.07.2018 तक एवं श्री श्याम सुन्दर दिनांक 01.08.2018 से 2019 तक पदस्थापित रहे हैं जो शास्ती वसूल नहीं करने के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। इसी प्रकार वर्ष 2011 से 2019 तक लाईफ लाईन मेडिकेयर ड्रग स्टोर में कनिष्ठ सहायक/वरिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापित श्री मनोहर शर्मा जनवरी 2011 से 09.08.2012 तक, श्री मदन लाल बैरवा दिनांक 10.08.2010 से जनवरी 2018 तक, श्री मुकेश कुमार शर्मा मई 2013 से जून 2017 तक तथा जितेन्द्र शर्मा फरवरी 2018 से 2019 तक पदस्थापित रहे हैं जो शास्ती वसूल नहीं करने के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। इसी प्रकार वर्ष 2011 से 2019 तक लाईफ लाईन मेडिकेयर ड्रग स्टोर में फार्मासिस्ट के पद पर पदस्थापित क्रमशः श्री सुनिल कुमार मीणा, अमित जैन, मुकेश कुमार जाट, रोहित कुमार गहलोत एवं आरती झालानी दिनांक 01.08.2012 से 10.05.2019 तक पदस्थापित रहे हैं जो शास्ती वसूल नहीं करने के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। लाईफ लाईन ड्रग स्टोर (आरएमआरएस) में दवा आपूर्ति बाबत उपरोक्तानुसार निविदा उपरान्त अनुबंधित फर्मों को क्रय आदेश जारी करने का प्रावधान है। उक्त क्रय आदेश के विरुद्ध संबंधित फर्म द्वारा नियत अवधि में दवा की आपूर्ति की जाती है। विलम्ब से आपूर्ति पर शास्ती का प्रावधान है। मांग का निर्धारण दुकान विशेष के फार्मासिस्ट द्वारा प्राप्त डॉक्टरों की पर्चियों के आधार पर किया जाता है। उन पर्चियों का एक संक्षिप्त सार लाईफ लाईन संचालक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को प्रस्तुत किया जाता है। वे विभिन्न विभागों में पदस्थापित डॉक्टर्स/तत्समय फैलती बिमारियों के मध्य नजर क्रय आदेश जारी करते हैं। फर्म द्वारा दवा स्टोर में रखने पर पर्चेज चालान की पृविष्टि सॉफ्टवेयर में की जाती है, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही दवा का बेचान किया जाता है। दवा विशेष का रिऑर्डरलेवल आने पर पुनः पर्चेज ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। लाईफ लाईन मेडिकेयर ड्रग स्टोर के सभी बिक्री पटलों के

प्रभारी फार्मासिस्ट द्वारा भुगतान वाले बिलों की सम्पूर्ण औषधि/सामग्री की बिक्री होने के पश्चात् बिलों की सूची बनाकर संबंधित फार्मासिस्ट द्वारा लाईफ लाईन ऑफिस के लिपिक को प्रस्तुत करता है तथा लिपिक उनकी प्राथमिक जांच कर सहायक लेखाधिकारी (लेखाकार) के समक्ष उपस्थित होकर उक्त सूची को अनुमोदित/जांच कराकर कार्यालय में भुगतान हेतु एमओआईसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। एमओआईसी द्वारा उक्त भुगतान को मय अनुशंषा के वित्तीय सलाहकार को अग्रेषित किया जाता है। वित्तीय सलाहकार मय अपनी अनुशंषा के मेम्बर सैकेट्री को पत्रावली अग्रेषित करते हैं। मेम्बर सैकेट्री एवं चिकित्सा अधीक्षक एक ही व्यक्ति होता है। इसके पश्चात् भुगतान अनुमोदित होने पर आरटीजीएस के माध्यम से संबंधित फॉर्म की भुगतान किया जाता है। वर्ष 2012 से वर्ष 2018 तक बकाया रही कुल एल0डी0 राशि 5.06 करोड़ में से 3.63 करोड़ की वसूली हो चुकी है। शेष की वसूली 1.43 करोड़ की वसूली आज दिनांक तक बकाया है। समिति की अन्य सिफारिशों की पालना में 2018 से पूर्व की शास्ति का चिकित्सालय के द्वारा निर्धारण किया जिसमें से राशि रु. 3,63,32,308/- की वसूली हो गयी एवं वसूली योग्य राशि रुपये 1,43,31,983/- रुपये 20 फॉर्मों से वसूली बाकी है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय परिसर जयपुर में स्थित लाईफ लाईन ड्रग स्टोर में वर्ष 2012 से वर्ष 2019 तक बकाया रही कुल एल0डी0 राशि 5.06 करोड़ रुपये में से 3.63 करोड़ रुपये की वसूली एसीबी में परिवाद दर्ज होने के बाद की गई है तथा शेष राशि 1.43 करोड़ रुपये वसूल किये जाने हैं। शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के आदेश दिनांक 10.05.2019 द्वारा गठित जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 60 दिनांक 29.05.2019 में वित्तीय प्रावधानों की पालना नहीं किए जाने पर सभी संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने की अनुशंषा की है। जांच कमेटी की रिपोर्ट एवं अनुशंषा तथा एसीबी में परिवाद दर्ज होने के बाद एसएमएस अस्पताल प्रशासन द्वारा एल0डी0 पेनल्टी की रिकवरी करना यह दर्शित करता है कि तत्कालीन फार्मासिस्ट श्री सुनिल कुमार मीणा एवं मदन लाल बैरवा वरिष्ठ सहायक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य का दुरुपयोग कर सॉफ्टवेयर में जानबूझकर एल0डी0 पेनल्टी की एंट्री ना करके वर्ष 2011 से 2019 तक निजी फॉर्मों से मिली भगत कर करोड़ों रुपये का फायदा पहुंचाया तथा राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की आर्थिक हानि पहुंचाना पाया गया। अतः उपरोक्त कर्मचारी श्री सुनिल कुमार मीणा फार्मासिस्ट एवं मदन लाल बैरवा वरिष्ठ सहायक एवं अन्य के विरुद्ध अपने पदों का दुरुपयोग कर सांशय निजी फॉर्मों को लाभ पहुंचाने एवं राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की आर्थिक हानि पहुंचाने का अपराध अन्तर्गत 13(1)(डी) 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी आईपीसी का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है तथा सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी वर्तमान में लाईफ लाईन मेडिकेयर ड्रग स्टोर में वर्ष 2011 से 2019 तक पदस्थापित उपरोक्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, मुख्य लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ सहायक/वरिष्ठ सहायक एवं फार्मासिस्टों के पद पर पदस्थापित रहे हैं जो शास्ती वसूल नहीं करने के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। अतः 1. श्री सुनिल कुमार मीणा पुत्र श्री डी0एल0 मीणा उम्र 44 वर्ष निवासी मकान नं. 31/64, सेक्टर-3, प्रताप नगर, आर.एच.बी., सांगानेर जयपुर हाल फार्मासिस्ट सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर 2. श्री मदन लाल बैरवा पुत्र स्व0 श्री सुखपाल बैरवा उम्र 59 वर्ष, निवासी मु0पो0 कोटखावदा, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर हाल निवासी जी-780, गांधीनगर जयपुर, वरिष्ठ सहायक हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, लाईफ लाईन मेडिकेयर ड्रग स्टोर, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर एवं अन्य के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर विस्तृत जांच हेतु अन्तर्गत धारा 13(1)(डी) 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी आईपीसी में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु सादर प्रेषित है। भवदीय (भूपेन्द्र) अति.पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भूपेन्द्र, अति.पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(डी) 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी आईपीसी में आरोपीगण 1. श्री सुनिल कुमार मीणा पुत्र श्री डी0एल0 मीणा उम्र 44 वर्ष निवासी मकान नं. 31/64, सेक्टर-3, प्रताप नगर, आर.एच.बी., सांगानेर जयपुर हाल फार्मासिस्ट सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर 2. श्री मदन लाल बैरवा पुत्र स्व0 श्री सुखपाल बैरवा उम्र 59 वर्ष, निवासी मु0पो0 कोटखावदा, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर हाल निवासी जी-780, गांधीनगर जयपुर, वरिष्ठ सहायक हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, लाईफ लाईन मेडिकेयर ड्रग स्टोर, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर एवं अन्य के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अभिषेक पारीक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 383 पर अंकित है। (भूपेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1737-41 दिनांक 20.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-01 जयपुर 2- निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर 3- उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर प्रथम जयपुर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर (पी.ई.37/24)। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

(जाँच अधिकारी का नाम):

Abhishek Pareek

Rank

(पद):

उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उप अधीक्षक

No(सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb Impression of the complainant / Informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh
Rathore
Location: Rajasthan, IN
Date: 20/1/2025 10:20

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1981				
2	Male	1966				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (प्रबल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)